न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-17 / 2020 　　　　　　　　　　　　दायर दिनांक: 04.03.2020

GCMS NO:- 2020/00040

पीठासीन अधिकारी :- श्योराम (आर.ए.एस.)

1. भगवानसहाय पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामसहाय पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—वादीगण—

बनाम

1. भू-स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय बून्दी (राज0)।

——प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88,92(अ),188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः—

1. वादीगण के अभिभाषक श्री सीताराम नागर एडवोकेट।

निर्णय दिनांक 01.07.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथगंज पटवार मण्डल बालापुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी में भूमि खसरा संख्या 307 रकबा 7 बीघा एवं भूमि खसरा संख्या 335 रकबा 6 बीघा मुताबिक बंदोबस्ती नम्बर स्थित है। जिसके नये खसरा नंबर 324, 360 व 361 है। यह कि पुराने खसरा नम्बर 307 मे से 7 बीघा भूमि तथा पुराने खसरा नं0 335 में से 6 बीघा भूमि वादीगण के पिता रामपाल आ0 जंसी मीणा निवासी रघुनाथगंज को दिनांक 07.06.1967 को आवंटित हुई थी और नियमानुसार वादीगण के पिता को दिनांक 24.07.1967 को भूमि पर कब्जा दिया गया था। तब से वादीगण के पिता रामपाल भूमि पर काबिज चले आ रहे है। रामपाल के वारीसान वादीगण के पुत्र व पुत्रियां मूर्तिबाई, सुरता बाई एवं वादीगण की माता शांति देवी है जो भूमि पर वादीगण के पिता के साथ 10 वर्ष तक बहैसियत गैरखातेदार कृषक तत्पश्चात बहैसियत खातेदार कृषक काबिज चले आ रहे है। यह कि भूमि खसरा संख्या 360, 361 जिसके पुराने खसरा नं0 335 है जिसके 5 बीघा भूमि खसरा संख्या 361 से है व 1 बीघा भूमि खसरा संख्या 360 में है। यह कि वादीगण को धारा 91 एल.आर. एक्ट नोटिस प्राप्त होते है, पेनल्टी देनी पडती है। बार-बार लिखित एवं मौखिक निवेदन करने के पश्चात् भी भूमि अभी तक वादीगण के खाते में दर्ज नही की गई जिससे वादीगण को भारी परेशानी हो रही है। तथा राजकीय लाभांश से भी वंचित रहते है। यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण अपने आपको खातेदार कृषक घोषित कराकर जमाबंदी, नक्शा ट्रेस एवं अन्य भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाये एवं स्थाई निषेधाज्ञा की जावें। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेस, नकल आवंटन आवेदन पत्र, नकल आवंटन आदेश, नकल खसरा परिवर्तन पी-14, शपथ-पत्र आदि पेश किये।

तहसीलदार नैनवां ने वाद पत्र में जवाब पेश कि[illegible] अनुसार वाद का चरण न0 1 आवंटन के समय 1967 के ख0 न0 307 में से 7 बीघा [illegible] 13 बीघा वाके रघुनाथगंज में दिनांक 7.6.1967 को स्व0 रामपाल पुत्र जंशी मीणा आवंटित [illegible] के वर्तमान खसरा न0 मिलान क्षेत्रफल की नकल के अनुसार निम्नानुसार है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:08:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner

दिनांक 07.06.1967 के अनुसार आवंटित रकबे का विवरण		वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार	
ख0नं0	रकबा	ख0 नं0	रकबा
307	7 बीघा	324	12 बीघा
335	6 बीघा	359	4 बीघा 9 बिस्वा
		360	1 बीघा 9 बिस्वा
		361	7 बीघा
		362	1 बिस्वा

यह कि दावा वादी में वर्तमान ख0नं0 361 में से 6 बीघा भूमि पर आवंटन दिनांक 07.06.1967 के अनुसार खातेदारी का अनुतोष चाहा था किन्तु संशोधित वाद में मौके पर कब्जे काश्त के हिसाब से वर्तमान ख0 सं0 361 मे से 5 बीघा भूमि पर खातेदारी अनुतोष चाहा गया है। जो मिलान के अनुसार दिये जाने में सरकार के हितों पर कोई दुष्प्रभाव नही पडता है। वर्तमान ख0 न0 361 रकबा 5 बीघा सिवायचक बंजड दर्ज है। नकल पी0 14 के अनुसार भगवान सहाय वादी का अतिकमण मामले में माननीय उपखण्ड अधिकारी नैनवां में अलग से वाद चल रहा है। यह कि वादी ने केवल अनुतोष यह चाहा है क गत ख0नं0 335 मे से स्व0 रामपाल मीणा का आवंटित रकबा कुल 6 बीघा था और वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान ख0नं0 361 में से 5 बीघा ही राजकीय(सरकारी) भूमि दर्ज रिकॉर्ड होने से केवल 5 बीघा पर ही गैरखातेदारी या खातेदारी देने पर विचार किया जा सकता है। यह कि आवंटित रामपाल पुत्र जंशी मीना नि0 रघुनाथगंज का स्वर्गवास हो जाने से भगवान सहाय, रामसहाय दोनो पुत्र तथा शांति बाई पत्नी ने वाद दायर किया है। यह कि वाद वादीगण आवंटन के पत्रादि के अनुसार एवं पी0 14 की नकल व जमाबन्दी की नकल के हिसाब से वर्तमान ख0 नं0 361 में से 5 बीघा वाके रघुनाथगंज पर गैरखातेदारी या खातेदारी देने पर विचार किया जा सकता है।

वाद–पत्र का अवलोकन किया, वाद पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब वाद पत्र का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार नैनवां (सरकारी पैरोकार) ने अपने जवाब दावे में निवेदन किया है कि वादी द्वारा मौके पर कब्जे काश्त के हिसाब से वर्तमान ख0 सं0 361 मे से 5 बीघा भूमि पर खातेदारी अनुतोष चाहा गया है। जो मिलान के अनुसार दिये जाने में सरकार के हितों पर कोई दुष्प्रभाव नही पडता है। तथा वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान ख0नं0 361 में से 5 बीघा ही राजकीय(सरकारी) भूमि दर्ज रिकॉर्ड होने से केवल 5 बीघा पर ही गैरखातेदारी या खातेदारी देने पर विचार किया जा सकता है। वाद पत्र पर बहस वकील वादी सुनी गई। जवाब तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया गया। वर्तमान ख0 सं0 361 मे से 5 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम रघुनाथगंज पटवार मण्डल बालापुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी में भूमि खसरा संख्या 361 मे से 5 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नैनवॉ को डिकी पर्चा जारी किया जाकर तद्नुसार आवश्यक संशोधन राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:08:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner